न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

श्री गोविन्द राम बुलानी पिता देवदीप कुलदीप पुरोहित निवासी 301–आई बापूनगर भीलवाडा।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग, कलेक्ट्रट भीलवाडा।

प्रकरण संख्या :– 111/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.09.2025	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांक 02.08.2025 से अपील में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग, कलेक्ट्रट भीलवाडा से चाही गई थी, परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर, प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षकारान की तलबी हेतू नोटिस जारी किये गये। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग, कलेक्ट्रट भीलवाडा से प्राप्त सूचना अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 29351 दिनांक 19–09–2025 से अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में अपीलार्थी को सूचित किया गया। जिसकी प्रतिलिपि उक्त अपील पत्रावली के अभिलेख पर मौजूद है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 24–09–2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(जसमीत सिहं संधू)** प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा	

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)